

पत्र संख्या-11/आर3-3017/83-----/

निबंधन महानिरोधक बिहार का कार्यालय, बिहार, पटना ।

प्रेषक,

श्री के०ए०एच० सुब्रह्मण्यन,
निबंधन महानिरोधक-सह-विशेष सचिव,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला निबंधक ।

पटना, दिनांक-29 मई, 1984 ।

निबंधन

सभी

गर्वाह

चेव का

सचिव ।

ने रिहा

विभाग

प्र सचि

सरकार के पक्ष में लिखे गये दान पत्र विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क से विमुक्ति के संबंध में ।

महाशय,

विभाग के सामने यह प्रश्न आए दिन उठा करता है कि शैक्षणिक स्कूल एवं कॉलेज आदि। एवं इस प्रकार को सार्वजनिक संस्थाओं के पक्ष में जो दस्तावेज उपस्थापित किये जाते हैं और जिनमें यह टिखलाया जाता है कि राज्यपाल उक्त संस्थाओं के माध्यम से दस्तावेज में लेख्यधारी हैं ऐसे दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क देय है या नहीं ।

2- इस संबंध में कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । स्टाम्प ऐक्ट की धारा 3 के परन्तुक के अनुसार जिन दस्तावेजों में सरकार को ही स्टाम्प शुल्क देने का दायित्व है उन्हीं दस्तावेजों में स्टाम्प शुल्क नहीं लगेगा । जब इस प्रकार के दस्तावेज को राज्यपाल के पक्ष में टिखलाये गये हों, निबंधन के लिए उपस्थापित हों तो स्टाम्प शुल्क से विमुक्ति देने में मुख्यतः दो बातों पर विचार करना आवश्यक है :-

क- क्या ऐसे दस्तावेज पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट की धारा 29 के अन्तर्गत राज्यपाल को स्टाम्प शुल्क देने का दायित्व है ? तथा

ख- यदि स्टाम्प ऐक्ट की धारा 3 के परन्तुक का प्रावधान नहीं रहता तो क्या ऐसे दस्तावेजों में सरकार को कोष से स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क देय होता है ? इन दोनों प्रश्नों पर विचार कर और यह देखकर ही कि स्पष्टतः सरकार को ही स्वयं अपने कोष से स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क देने का दायित्व है, उसी परिस्थिति में स्टाम्प ऐक्ट की धारा 3 के परन्तुक के अन्तर्गत दस्तावेजों को स्टाम्प शुल्क से विमुक्ति को जा सकता है, तदनुसार उन पर निबंधन शुल्क भी नहीं लगेगा । अन्य सभी परिस्थिति में स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क देय होगा ।

.....2..

:2:

3- अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को इस अनुदेश का कठोर पूर्वक पालन करने का कृपया आदेश दिया जाय ।

विश्वास भाजन,

के०ए०एच० सुब्रह्मण्यन
निबंधन महानिरोधक-सह-विशेष सचिव ।

ज्ञापक- २२३ / पटना, दिनांक- २६/१/२४
प्रतिलिपि- सभी निबंधन निरोधक/ जिला अवर निबंधक/ अवर निबंधक
मार्गदर्शन के लिए अग्रसारित ।

कृपया पत्र को प्राप्त स्वीकार करें ।

के०ए०एच० सुब्रह्मण्यन
निबंधन महानिरोधक-सह-विशेष सचिव ।

22/2

Handwritten signature/initials at the top right.

राज

को उनके नाम

795-दरोग-10

Handwritten notes and signatures on the right margin.

श्री लाला ज्या

श्री शिवमंगल ट

श्री अनुसूचित जा

श्री राधा मोहन

श्री बिन्देश्वरी

श्री मो० कमरुज्ज

श्री किशोर पु

श्री परमेश्वरी

श्री लखीनाराय

श्री भोला मह

श्री राजेश्वर

श्री राम ललि

श्री श्रीनाथ

श्री रामचन्द्र

श्री वंशम

श्री भोला

श्री लखु व

श्री राम पु

श्री दुर्गा प्र

श्री कामेश्व

श्री मो०

श्री गौरी

श्री श्रीकंत